संख्या- 134 / 2024 /786 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय:- राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हाल के उन्नयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1253/उ0प्र0सं0नि0- 5(86)/2019-20, दिनांक 22 फरवरी, 2024 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हाल के उन्नयन हेतु सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हाल के उन्नयन हेतु कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन पर अप्रेजल कमेटी की दिनांक 01.03.2024 में की गयी संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-53-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य मद में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत परियोजना हेतु रू0 498.98 लाख (रू0 चार करोड़ अट्ठानवे लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 299.99 लाख (रू0 दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत चैत्य स्टाइल, आर्किटेक्चर पर इंटीरियर, लेटेस्ट स्टाइल के मेटेवर का प्रयोग किया जाये। HP व Dell के उपकरण व स्पीकर आदि लगाये जायें।
(2) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(6) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) संग्रहालय निदेशालय द्वारा द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।
(9) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर आदि का क्रय उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आडिटोरियम सम्बन्धी कार्य एवं बाट आउट श्रेणी के कार्यों की लागत बजटरी आफर/ क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेंगे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर / कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि की स्थिति में सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर / कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर का होगा।

(16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(17) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(18) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(19) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

4. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-106-संग्रहालय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन-24-वृहद् निर्माण कार्य मद में हो रही बचत धनराशि में से संक्रमित कर लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-53-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाली जायेगी।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 134 /2024 / 786 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महाप्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ/ आहरण वितरण अधिकारी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर ।
7- परियोजना प्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई-42, गोरखपुर।
8- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-786-Char-2024 GMuseum Exhibiton Hall Reapp

विषयः- राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने के अन्तर्गत मुख्य संग्रहालय भवन से लगे विस्तारित भवन के प्रथम तल के दो प्रदर्शनी हाल के उन्नयन के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041068903 (संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	4,40,00,000 रुपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र	4,40,00,000 रुपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र	3,98,99,000 रुपये तीन करोड़ अट्ठानबे लाख निन्यानवे हजार मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,40,00,000 रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र	2023-2024
कुल					₹ 3,98,99,000	₹ 2,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048005300 (राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,50,00,000 रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र	3,98,99,000 रुपये तीन करोड़ अट्ठानबे लाख निन्यानवे हजार मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 3,98,99,000	₹ 2,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. प्रायोजनान्तर्गत चैत्य स्टाइल, आर्किटेक्चर पर इंटीरियर, लेटेस्ट स्टाइल के मेटेवर का प्रयोग किया जाये। HP व Dell के उपकरण व स्पीकर आदि लगाये जायें।
2. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
6. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।
11. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
12. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
13. यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

संख्या:RE-budget-1-609-E-7-618-X-2023-24-दिनांक:13-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 134 /2024 / 786 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ/ आहरण वितरण अधिकारी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in